बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालयः—विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No.:7763817975,7763818077,email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website:www.bsptcl.in

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

पत्रांकः— T-VI/Misc/8010/2023 पटना, दिनांकः— /

प्रेषक,

राजीव कुमार
अवर सचिव

सेवा में,

Email

निदेशक (परियोजना),
निदेशक (परिचालन),
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
सभी मुख्य अभियंता,
मुख्य अभियंता (असैनिक),
सभी महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, संचरण जोन,
सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल,
सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल,
सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल,
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना।

विषयः— **ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में।**

प्रसंगः— **मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक—667/गो0मु0स0 दिनांक—26.05.2026**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक—292 दिनांक—10.06.2026 की सानुलग्नक प्रति; संलग्न करते हुए अनुरोध है कि; मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक—667/गो0मु0स0 दिनांक—26.05.2026 में वर्णित दिशा—निर्देश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू करने/अनुपालन सुनिश्चित करवाने की कृपा की जाय।

अनु0:—तथैव।

विश्वासभाजन,
ह0/—
(राजीव कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांकः 2031 पटना दिनांकः 18/06/26/

प्रतिलिपिः— DBA, BSPTCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी एक प्रति कंपनी के Website पर अपलोड करवाने की कृपा की जाय।

18/06/26

(राजीव कुमार)
अवर सचिव

18.06.26

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
(निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, नेहरू मार्ग, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Nehru Marg, Patna)
TINVAT No- 10011255025 CIN – U40102BR2012SGC018495
Website:- www.bsphcl.co.in

DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION

160

पत्रांकः— H-X/विविध पत्राचार—4001/2022 292....../ दिनांकः— 10-06-2026 /

प्रेषक,

राम अनुग्रह नारायण सिंह,
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

सेवा में,

महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0),
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0),
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0),
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0),
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।
मुख्य अभियंता (असैनिक),
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना।
मुख्य अभियंता (आई0टी0),
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना।
मुख्य अभियंता (ओ0 एण्ड एम0),
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना।

10 JUN 2026

विषयः— ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में।

प्रसंगः— मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—667/गो0मु0स0 दिनांक—26.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में विभिन्न प्रकार के दिशा—निर्देश दिये गए हैं जिसे सभी विभागों में लागू किया जाना है। उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने—अपने कम्पनियों/विभागों में उक्त दिशा—निर्देश को लागू करने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देश देने की कृपा की जाए।

अनु0:— तथैव।

विश्वासभाजन,

(राम अनुग्रह नारायण सिंह)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

4833 12/06/26
3038/HM(HM/Adm) 10-6-26
1929 11/06/26
4329/U.S-VI 11/06/26

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(मुख्य सचिव कोषांग)

पत्रांक : 667/मु०स०को० पटना, दिनांक : 26/05/2026

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिलाधिकारी बिहार।

विषय– ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:–

1. Video Conferencing (VC) के माध्यम से बैठकों का आयोजन :–

राज्यस्तरीय बैठकों का आयोजन VC के माध्यम से ही किया जाय। इसी प्रकार जिला स्तरीय समीक्षात्मक/समन्वय बैठकों का आयोजन भी VC के माध्यम से ही किया जाय। विशेष परिस्थितियों में ही भौतिक बैठकों (physical meeting) का आयोजन किया जाए।

2. ईंधन की बचत हेतु Car Pooling को प्रोत्साहन :–

Car Pooling व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा विभागीय स्तर पर यथोचित निदेश निर्गत किया जाय। इसी प्रकार जिला स्तर पर Car Pooling व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी निदेश निर्गत करें।

3. इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन :–

नये वाहनों की खरीद की आवश्यकता होने पर यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय। सरकारी कार्यों में उपयोग हेतु भाड़ा पर वाहन लिए जाने के क्रम में भी इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाए।

158

4. ऊर्जा संरक्षण पर विशेष बल/अभियान :-

(क) सभी विभाग मुख्यालय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित करें, जिनकी मासिक बैठक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार के स्तर पर की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि अनावश्यक रूप से AC, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न हो और कार्यालय अवधि के उपरांत सभी विद्युत चलित उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाय। इसके लिए विभागवार/कार्यालयवार Central Switching System की व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाय। इसी प्रकार संबंधित जिला पदाधिकारीगण ऊर्जा संरक्षण हेतु अपने तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में अभियान चलायेंगे।

(ख) सभी विभागाध्यक्ष यह समीक्षा कर लें कि पूर्व से अधिष्ठापित सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है अथवा नहीं। यथासंभव यह प्रयास होना चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था हो और इसका समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी खर्चे पर पदाधिकारियों की विदेश यात्रा पर अगले छः माह के लिए सामान्यतः प्रतिबंध रहेगा।

6. राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके कार्यालय से संबंधित ईंधन एवं बिजली की औरात खपत उपरोक्त उपायों के कारण पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में कम रहे।

विश्वासभाजन,

25.5.2026

(प्रत्यय अमृत)